उत्तर प्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
संख्या- **1 /** 2856 / 18-3-2013-29(अधि0) / 2006
लखनऊ : दिनांक : 16 दिसम्बर, 2013

<u>कार्यालय- ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 के भाग-1 अनुच्छेद 245, 246 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय के उद्योग सचिव शाखा के कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि स्कूटर / मोटरसाइकिल / मोपेड क्रय के लिये अग्रिम भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इस अग्रिम की वसूली भुगतान के तुरन्त बाद पड़ने वाले माह के वेतन से की जायेगी:-

क्रमांक	नाम कार्मिक / पदनाम	मूल वेतन	अनुमन्य अग्रिम	स्वीकृत किया जा रहा अग्रिम	किश्तें
1	श्री नवीन चन्द्र जोशी, कम्प्यूटर सहायक	8120 / -	15,000 / -	15,000 / -	रू0 300 / - की 50 किश्तें
2	श्री मनोज कुमार, सहा0 समीक्षा अधिकारी (लेखा)	12540 / -	30,000 / -	30,000 / -	रू0 1000 / - की 30 किश्तें

2- स्वीकृत किए गये स्कूटर / मोटरसाइकिल / मोपेड अग्रिमों पर ब्याज की दर अनन्तिम रूप से 11.5 प्रतिवर्ष होगी किन्तु नियमित रूप से ऋण / ब्याज के प्रतिदान होने पर ब्याज से 2.5 की छूट दी जायेगी। संबंधित कर्मचारी को इस आशय का एक लिखित आश्वासन देना होगा कि जो भी ब्याज की दरें अन्तिम रूप से निर्धारित होगी वे उन्हे मान्य होगी।

3- यदि स्कूटर / मोटरसाइकिल / मोपेड का क्रय मूल्य अग्रिम की धनराशि से कम हो तो शेष धनराशि तुरन्त शासन को वापस कर दी जायेगी, जिसको शाखा के कोषाध्यक्ष राजकीय कोष में जमा करेगें।

4- वाहन क्रय उसके मूल्य की धनराशि एकमुश्त भुगतान करके किया जायेगा इसका क्रय हायर परचेज अथवा किश्तों पर नहीं किया जायेगा। तथा क्रय करते समय सरकारी कर्मचारियों का आचरण नियमावली के नियम-24(2) के प्राविधान को ध्यान में रखा जायेगा।

5- संबंधित सरकारी सेवक निर्धारित प्रपत्र पर एग्रीमेन्ट फार्म भरकर शाखा के कोषाध्यक्ष एवं लेखाकार को देगें। तत्पश्चात ही अग्रिम के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कोषाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

6- अग्रिमी को एक महीने की अवधि के भीरत, जिसकी गणना अनुबन्ध के निष्पादन के दिनांक से की जायेगी, अनिवार्य रूप से स्कूटर / मोटरसाइकिल / मोपेड खरीद लेना चाहिए तथा प्रपत्र-25-ए एक अनुबन्ध पत्र भी निष्पादित कर एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3 को उपलब्ध करा देना होगा।

7- वाहन को क्रय करने की तिथि से एक माह के भीतर संबंधित सरकारी सेवक को उसका समाविष्ट बीमा कराना होगा और उसे उस अवधि तक जारी रखना होगा जब तक अग्रिम की मूल धनराशि तथा उस पर देय ब्याज की वसूली न हो जाय बीमें की धनराशि किसी भी समय बकाया मूलधन तथा शेष ब्याज की धनराशि से

http://shasanadesh.up.nic.in

कम न होनी चाहिए। समाविष्ट बीमा पालिसी तथा अन्य पत्रक जिससे ज्ञात हो सके कि वाहन का बीमा कराया गया है, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रमाण-पत्र भेजने के लिए क्रय के दिनांक से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा अग्रिम का शेष मूलधन तथा ब्याज तुरन्त वसूल किया जा सकेगा। कथित अभिलेखों के साथ स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड वाहन की वास्तविक मूल्य तथा अवशेष धनराशि यदि कोई हो, शासन को लौटाने की तिथि आदि के प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे ।

8- मूलधन की कटौती के उपरान्त तुरन्त बाद में पड़ने वाले माह के वेतन से ब्याज की कटौती प्रारम्भ की जायेगी।

9- मार्टगेज बाण्ड के अन्त में परिशिष्ट को ध्यान से भरना चाहिए और इंजन, वाहन का नाम, नम्बर तथा मूल्य आदि का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए ।

10- संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्त के पूर्व शासन द्वारा अपेक्षा किए जाने अथवा सेवा से सेवानिवृत्त होने की दशा में अग्रिम को शेष (मूल) धनराशि तथा ब्याज शासन को एकमुश्त सेवानिवृत्त की तिथि से पहले देय हो जायेगी और शासन इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह इस देय धनराशि को जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले ।

11' अग्रिम की धनराशि के भुगतान को चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में वित्त विभाग की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि-आयोजनेत्तर-202-मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम-03-राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय के लिए अग्रिम-30-निवेश/ऋण'' के नामे लिखा जायेगा।

विजय कान्त दुबे
विशेष सचिव।

संख्या-2856(1)/18-3-2013-29(अधि0)/2006-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/लेखा परीक्षा प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3- अनुभाग अधिकारी (लेखा), उद्योग सचिव शाखा (दो प्रति में) ।
4- संबंधित कार्मिक
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
6- संबंधित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु
7- अनुभागीय आदेश पुस्तिका

आज्ञा से

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in